



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



**एडीजीसी श्री राजेश
कुमार द्विवेदी**

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत चिह्नित महिला सम्बन्धी अभियोग में अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा 04 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री उम्र 16 वर्ष के साथ छेड़छाड़ करना, मना करने पर जान से मारने की धमकी देने पर दिनांक 16.02.2024 को समय 12.47 बजे थाना जामो पर मु०अ०सं० 38/2024 धारा 354क, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया था।



**पैरोकार का० सुधीर
कुमार**

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 23.05.2026 को माननीय न्यायालय एसजे-12 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रु० अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त को 04 वर्ष कठोर कारावास।
- अभियुक्त को 10,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

➤ उमाशंकर पुत्र दुबरी नि० राजामऊ थाना जामो जनपद अमेठी।

